NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-03-2025

विषय सूची

भारतीय राज्यों में उच्च प्रति व्यक्ति आय बनाम गरीबी के स्तर के बीच विरोधाभास: उच्चतम न्यायालय

PAC ने स्वदेश दर्शन योजना की कमियों को चिन्हित किया

उपराष्ट्रपति ने "रेवड़ी संस्कृति" की आलोचना की

एक्स कॉर्प ने सरकार के कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती दी

गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर में AFSPA की समीक्षा करेगा

ग्लोबल फ़ॉरेस्ट विज़न 2030

संक्षिप्त समाचार

प्रोजेक्ट PARI

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025

भारत-अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित

ईरी सिल्क के लिए Oeko- टेक्स प्रमाणन

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)

कैराकल (Caracal)

भारतीय राज्यों में उच्च प्रति व्यक्ति आय बनाम गरीबी के स्तर के बीच विरोधाभास: उच्चतम न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कुछ राज्यों के उच्च प्रति व्यक्ति आय के दावों में विरोधाभास पर चिंता व्यक्त की, जबकि उनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रह रहा है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ

- अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान आर्थिक संकेतकों और बुनियादी सच्चाई के बीच असमानता पर चिंता व्यक्त की।
  - इसमें प्रश्न उठाया गया है कि राज्य अपनी 70% जनसंख्या को BPLबताते हुए उच्च प्रति व्यक्ति आय का दावा कैसे कर सकते हैं।
  - इसने इस बात पर बल दिया कि इस तरह के विरोधाभास विकास के दावों की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं और संसाधनों के वितरण में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करते हैं।
- न्यायालय ने सब्सिडीयुक्त राशन योजनाओं की दक्षता की भी जाँच की तथा प्रश्न उठाया कि क्या ये वास्तव में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचती हैं या राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन समस्या को बढ़ाता है।

भारत में प्रति व्यक्ति आय

- प्रति व्यक्ति आय (PCI) किसी निश्चित अवधि में किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

$$\text{Per Capita Income} = \frac{\text{Total National Income}}{\text{Total Population}}$$

- भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा लगाया जाता है और प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी रिपोर्ट दी जाती है।

भारत में गरीबी की परिभाषा

- गरीबी को सामान्यतः भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- तेंदुलकर समिति (2009) और रंगराजन समिति (2014) ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अलग-अलग पद्धतियाँ प्रदान कीं।
  - **तेंदुलकर समिति:** इसने भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर व्यय के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया।
  - **रंगराजन समिति:** इसने ऊँची गरीबी रेखा का सुझाव दिया, जिससे गरीब लोगों की अनुमानित संख्या बढ़ गई। इसने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹972 और शहरी क्षेत्रों में ₹1407 की नई गरीबी रेखा की सिफारिश की।
- **गरीबी के आँकड़े:** नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023 के अनुसार: भारत की गरीबी दर 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2023) हो गई।
  - 2005-06 और 2019-21 के बीच 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
  - बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में गरीबी की दर सबसे अधिक है।

उच्च प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर का कारण

- यद्यपि नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय जैसे संस्थानों के राष्ट्रीय डेटा सेट विभिन्न राज्य-स्तरीय आर्थिक संकेतकों पर प्रकाश डालते हैं, कुछ राज्य निरंतर उच्च प्रति व्यक्ति आय दिखाते हैं, लेकिन गरीबी का स्तर लगातार बना रहता है। इनमें शामिल हैं:

- **धन संकेन्द्रण:** उच्च प्रति व्यक्ति आय अक्सर समतामूलक धन वितरण के बजाय शहरी समृद्धि और व्यापार केन्द्रों को दर्शाती है।
- **जीवन-यापन की उच्च लागत:** गोवा और केरल जैसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में जीवन-यापन की लागत भी अधिक है, जिससे निम्न आय वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुएँ वहन करना कठिन हो जाता है।
- **कृषि संकट:** पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद मजबूत है, लेकिन वे कृषि संकट से ग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या वित्तीय संकट में है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** उच्च-PCI वाले राज्यों में कार्यबल का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करता है, कम वेतन पाता है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
- **अप्रभावी कल्याण कार्यान्वयन:** कई सरकारी कल्याण योजनाएँ निम्नलिखित कारणों से इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने में विफल रहती हैं:
  - भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन;
  - पुराना डेटा;
  - नौकरशाही अकुशलताएँ;
  - राजनीतिक प्रभाव;

आगे की राह

- **लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ:** निम्न आय वर्ग के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा पहल का विस्तार करना।
- **रोजगार सुधार:** अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
- **विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास एवं स्थानीय शासन को सशक्त बनाना:** विभिन्न क्षेत्रों में आय के स्तर को संतुलित करने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
  - कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को विकेन्द्रीकृत करने से दक्षता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
- **डेटा प्रणालियों को अद्यतन करना:** प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने तथा लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।
- **कराधान नीतियों को सुदृढ़ बनाना:** धन पुनर्वितरण में सुधार के लिए धन कर या प्रगतिशील कराधान लागू करना।
- **पारदर्शिता को मजबूत करना:** स्वतंत्र ऑडिट, पारदर्शी डेटा संग्रह और मानकीकृत गरीबी मैट्रिक्स की आवश्यकता है।

Source: TH

PAC ने स्वदेश दर्शन योजना की कमियों को चिन्हित किया

संदर्भ

- के.सी. की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) वेणुगोपाल ने स्वदेश दर्शन योजना के खराब क्रियान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय की आलोचना की।

परिचय

- पैनल इस योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा था।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अधिकांश परियोजनाओं के पूरा हो जाने के दावे के बावजूद, पैनल ने इसमें पर्याप्त विसंगतियाँ पाईं।

स्वदेश दर्शन

- पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में 'स्वदेश दर्शन' की अपनी प्रमुख योजना प्रारंभ की।
- मंत्रालय ने अब इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सतत एवं जिम्मेदार गंतव्यों का विकास करना है।

- थीम आधारित पर्यटन सर्किट: यह विशिष्ट थीमों के आधार पर विभिन्न विषयगत सर्किटों की पहचान करता है जैसे:
  - आध्यात्मिक सर्किट (जैसे, चार धाम यात्रा, बौद्ध सर्किट)
  - सांस्कृतिक सर्किट (जैसे, उत्तर पूर्व सर्किट, जनजातीय सर्किट)
  - विरासत सर्किट
  - वन्यजीव सर्किट
  - तटीय सर्किट
- **वित्तपोषण:** पर्यटन मंत्रालय इन सर्किटों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित करता है।

प्रमुख मुद्दे

- **योजना में खामियाँ:** परियोजना प्रारंभ होने से पहले कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया।
- **वित्तीय कुप्रबंधन:** खराब योजना के कारण बजट में वृद्धि; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) के बिना अनुमोदन प्रदान किया गया।
- **कमजोर निगरानी:** परियोजना मूल्यांकन या अनुमोदन के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं; कई परियोजनाएँ विलंबित या अधूरी हैं।
- **पर्यटन मंत्रालय का दावा बनाम प्रतिवादी वास्तविकता:** पर्यटन मंत्रालय ने दावा किया कि 76 में से 75 परियोजनाएँ पूरी हो गईं, लेकिन समिति ने पाया कि बिहार में कांवरिया मार्ग, तेलंगाना में जनजातीय सर्किट और केरल में श्री नारायण गुरु आश्रम सहित कई परियोजनाएँ अधूरी या गैर-कार्यात्मक रह गईं।

आगे की राह

- समिति ने पर्यटन मंत्रालय को सभी परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने तथा तीन सप्ताह के अन्दर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
- समिति ने यह भी विवरण मांगा कि इस योजना ने रोजगार सृजन को किस प्रकार प्रभावित किया तथा इसका पर्यटकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये योजना की सफलता के प्रमुख संकेतक थे।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

- **संवैधानिक स्थिति:** संवैधानिक निकाय नहीं; लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत गठित।
- **संरचना:** 22 सदस्य (लोकसभा से 15, राज्य सभा से 7) लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त संसद अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर विपक्षी दल से होता है, सत्तारूढ़ दल से नहीं।
- **कार्य:** भारत के CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना, यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यय की जाँच करना कि यह फिजूलखर्ची या अनियमित नहीं है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना, राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CAG के साथ मिलकर कार्य करना

Source: TH

उपराष्ट्रपति ने रेवड़ी संस्कृति संस्कृति की आलोचना की

समाचार में

- उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीति में "रेवड़ी संस्कृति" की आलोचना की तथा इस मुद्दे पर संसदीय परिचर्चा का आह्वान किया।

रेवड़ी संस्कृति क्या हैं?

- रेवड़ी संस्कृति क्या होती हैं, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन वे वस्तुएँ, सेवाएँ या वित्तीय सहायता होती हैं, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मत पाने के लिए वितरित की जाती हैं, जैसे मुफ्त बिजली, गैस, साइकिल, ऋण माफी और नकद हस्तांतरण।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- रेवड़ी संस्कृति से राज्य के बजट पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और सार्वजनिक ऋण बढ़ता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- रेवड़ी संस्कृति पर व्यय करने से बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण कम हो जाता है, जिससे विकास में बाधा आती है।
- रेवड़ी संस्कृति के कारण संसाधनों का अकुशल उपयोग हो सकता है तथा निर्भरता बढ़ सकती है, तथा गरीबी के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।
- प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद (जहाँ पार्टियाँ मुफ्त चीजें देने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं), नीतिगत दक्षता को कम कर देता है और दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- रेवड़ी संस्कृति पर ध्यान केन्द्रित करने से उन आवश्यक नीतिगत सुधारों से ध्यान हट जाता है, जिनसे कौशल, शिक्षा और रोजगार सृजन में सुधार हो सकता है।
- संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य कल्याण को बढ़ावा देगा और असमानताओं को कम करेगा (अनुच्छेद 38), लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मुफ्त सुविधाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने चुनाव से पहले रेवड़ी संस्कृति देने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोग काम करने से हतोत्साहित होते हैं तथा श्रम शक्ति को हानि पहुँचती है।
- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि चुनाव के दौरान रेवड़ी संस्कृति का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करता है और चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।

विशेषज्ञों का विचार

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने भारत में रेवड़ी संस्कृति संस्कृति की आलोचना की तथा राज्य के वित्त पर इसके नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वोट के लिए "रेवरी" (मुफ्त चीजें) बांटने की संस्कृति की आलोचना करते हुए इसे अल्पकालिक राजनीति बताया।

सुझाव

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है कि सरकारी निवेश का व्यापक लाभ के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- मुफ्तखोरी की संस्कृति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और आचार संहिता की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व केंद्र को करना चाहिए।
- लक्षित कल्याण कार्यक्रम, अलक्षित मुफ्त सुविधाओं की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, तथा उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती है।

Source :TH

एक्स कॉर्प ने सरकार के कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती दी

संदर्भ

- एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर इंक के नाम से जाना जाता था, अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री अवरोधन के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा है, विशेष रूप से सहयोग पोर्टल के संबंध में।

परिचय

- इस मुद्दे के मूल में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(B) का प्रयोग है, जिसके बारे में एक्स कॉर्प का मानना है कि इसका उपयोग सामग्री अवरोधन आदेश जारी करने के लिए अनुचित तरीके से किया जा रहा है।
- **सहयोग पोर्टल:** इसे गृह मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है -
  - मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक - अधिक कुशलता से अवरोध आदेश जारी करने के लिए।
- एक्स कॉर्प ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सामग्री

को केवल धारा 69A के अंतर्गत ही अवरुद्ध किया जा सकता है।

- यह कानूनी लड़ाई ऑनलाइन सामग्री के विनियमन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर विश्व भर में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सरकारों के बीच व्यापक तनाव का हिस्सा है।

कानूनी ढाँचा: धारा 69A बनाम. धारा 79(3)(b)

- **IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A :** यह धारा सरकार को कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट पर सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था पर चिंता या उकसावे को रोकने के लिए।

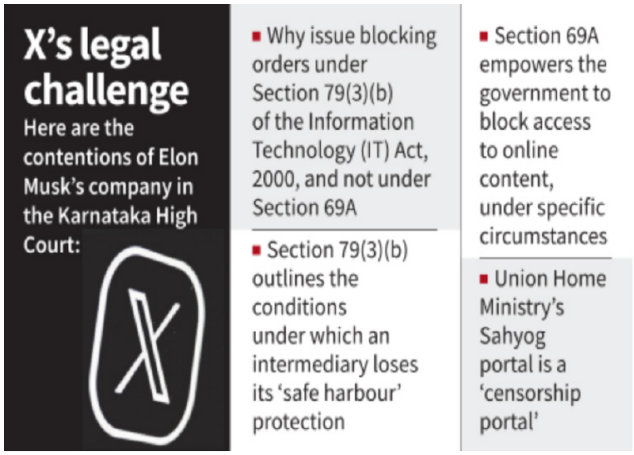

  - इसमें श्रेया सिंघल मामले (2015) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
  - सामग्री को अवरुद्ध करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश।
  - प्रभावित व्यक्ति या संस्था को आदेश को चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए।
- **IT अधिनियम की धारा 79(3)(b):** यह धारा तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों (जैसे एक्स कॉर्प जैसे प्लेटफॉर्म) की देयता से संबंधित है।
  - यह प्लेटफॉर्म्स को अवैध सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से छूट देता है, जब तक कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उस सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल न हों।
  - एक्स कॉर्प का तर्क है कि इस प्रावधान का उपयोग सीधे तौर पर सामग्री को ब्लॉक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है।

निहितार्थ एवं आगे की राह

- **बढ़ता सरकारी विनियमन:** यह मामला भारत में ऑनलाइन सामग्री पर सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।
- **डिजिटल अधिकार खतरे में:** सामग्री मॉडरेशन और निष्कासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी उपयोगकर्ताओं के मौलिक डिजिटल अधिकारों एवं स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।
- **आज़ादी बनाम आज़ादी सुरक्षा दुविधा:** राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना शासन के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है।

Source: TH

गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर में AFSPA की समीक्षा करेगा

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्तमान में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में AFSPA के दायरे की समीक्षा कर रहा है।
  - यह कदम हाल ही में जातीय तनाव और कानून-व्यवस्था की अव्यवस्था के बाद उठाया गया है, विशेष रूप से मणिपुर में।

AFSPA के बारे में

- संसद द्वारा अधिनियमित और 1958 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। "अशांत क्षेत्रों" में व्यवस्था वापस लाने के लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवाद के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।

- **प्रावधान:**
  - **धारा 3:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल को पूरे राज्य या उसके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है।
  - **धारा 4:** सेना को बिना वारंट के परिसर की तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - **धारा 6:** इसमें प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त संपत्ति पुलिस को सौंप दी जाएगी।
  - **धारा 7:** अभियोजन की अनुमति केवल केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद ही दी जाती है।

AFSPA की आवश्यकता

- **उग्रवाद और सुरक्षा खतरे:** पूर्वोत्तर में सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के कारण त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।
- **नागरिक प्रशासन को सहायता:** जिन क्षेत्रों में पुलिस और नागरिक बल अपर्याप्त हैं, वहां सेना सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करने में सहायता करती है।
- **भू-राजनीतिक कारक:** चीन, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे सीमावर्ती देश सीमा पार सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- **सामरिक निवारण:** AFSPA के अंतर्गत सशस्त्र बलों की उपस्थिति विद्रोही समूहों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है।

चिंताएँ और आलोचना

- **मानवाधिकार उल्लंघन:** संघर्ष क्षेत्रों में न्यायेतर हत्या, यातना और यौन हिंसा के आरोप। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से उजागर किया गया।
- **उन्मुक्ति और जवाबदेही का अभाव:** केन्द्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता के कारण अक्सर आरोपी कार्मिकों को दण्ड से छूट मिल जाती है।
- **स्थानीय आबादी का अलगाव:** सैन्यीकरण की धारणा नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास को जन्म देती है।
- **न्यायिक टिप्पणियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कहा था कि AFSPA के अंतर्गत बल का अत्यधिक प्रयोग उचित नहीं है; परिचालन संवैधानिक मानदंडों का पालन करना होगा।
- **लोकतांत्रिक घाटा:** संघवाद, कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध है।

आगे की राह

- **बुनियादी स्थिति के आधार पर क्रमिक वापसी:** दीर्घकालिक शांति और स्थिरता वाले क्षेत्रों से AFSPA को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
- **स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाना:** राज्य पुलिस को सशक्त बनाना, खुफिया जानकारी जुटाने में सुधार करना, तथा विकास संबंधी बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना।
- **जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र:** शिकायतों के निवारण के लिए स्वतंत्र नागरिक निरीक्षण निकायों की स्थापना करना।
- **कानूनी सुधार:** राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- समयबद्ध समीक्षा और सूर्यास्त खंड लागू करना।

Source: TH

ग्लोबल फ़ॉरेस्ट विज़न 2030

संदर्भ

- वन घोषणा आकलन (FDA) की जारी रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2023 में विश्व में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाएँगे, जिससे वैश्विक जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

परिचय

- वन घोषणा मूल्यांकन (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क वन घोषणा (NYDF) प्रगति मूल्यांकन के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - NYDF एक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी घोषणापत्र है, जिसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।

- इसमें 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 2030 तक वनों की कटाई रोकना तथा 350 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भू-दृश्यों को पुनः स्थापित करना शामिल है।
- भारत ने अभी तक NYDF पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- **खतरनाक वन क्षति:** 2023 में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाएँगे। यह 9 मिलियन फुटबॉल मैदानों के बराबर है।
- **प्रमुख कारक:** पाम तेल, सोया, गोमांस, लकड़ी।
  - इसका प्रभाव अमेज़न, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है।
- **जैव विविधता पर लागत:**
  - **अमेज़न:** मवेशी पालन वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है, जो अमेज़न के सभी देशों में लगभग 80 प्रतिशत वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है।
  - **दक्षिण पूर्व एशिया:** पाम तेल के विस्तार से ओरांगउटान और सुमात्रा बाघों को खतरा।
    - अकेले पाम तेल उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई में 5% योगदान देता है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

- UNFCCC COP30 (ब्राजील, नवंबर 2025) में वन लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय योजनाओं को संरेखित करना।
- वनों की कटाई से मुक्त व्यापार समझौतों को मजबूत बनाना।
- वन क्षति से जुड़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएँ।
- परिणाम-आधारित भुगतान और वन कार्बन वित्त पोषण को बढ़ावा देना।
- स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPs & LCs) के भूमि और संसाधन अधिकारों को सुरक्षित करना।
- सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थाएँ वन-संबंधी जोखिमों का ध्यान रखें।
- हानिकारक सब्सिडी को स्थायी भूमि-उपयोग प्रथाओं की ओर पुनः निर्देशित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के अनुरूप वन प्रशासन में सुधार करना।
- वन प्राकृतिक पूँजी को ऋण प्रबंधन ढाँचे में एकीकृत करना।

भारत की भूमिका: चुनौतियाँ और अवसर

- **चुनौतियाँ:** आयातित पाम तेल और लकड़ी पर अत्यधिक निर्भरता।
  - वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों पर कोई विशिष्ट व्यापार प्रतिबंध नहीं।
  - छोटे किसानों के पास वनों की कटाई से मुक्त उत्पादन सिद्ध करने के लिए तकनीक का अभाव है।
- **अवसर:** वनों की कटाई मुक्त आयात कानून लागू करना।
  - क्षमता निर्माण, वित्त और तकनीक के माध्यम से किसानों को समर्थन प्रदान करना।
  - सतत कृषि और व्यापार पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग का नेतृत्व करना।
  - कैम्पा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और जैव ऊर्जा मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ लिंक करना।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार

प्रोजेक्ट PARI

समाचार में

- संस्कृति मंत्रालय भारतीय सार्वजनिक कला (PARI) परियोजना के अंतर्गत निर्मित सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रोजेक्ट PARI (भारत की सार्वजनिक कला)

- यह भारत में सार्वजनिक कला परिदृश्य का उत्सव मनाने और उसे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है।

- इसका निर्माण ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा किया जाता है।
- इसमें 200 से अधिक कलाकारों के माध्यम से भारत के विविध क्षेत्रीय कला रूपों, जैसे फड़, थंगका, गोंड और वारली को प्रदर्शित किया जाता है।
  - फिलहाल 'पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया' (PARI) परियोजना केवल दिल्ली में ही क्रियान्वित की गई है।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक कला के माध्यम से संवाद और चिंतन को प्रोत्साहित करना है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन विषयों के साथ मिश्रित करता है।
- यह प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करके सार्वजनिक कला में समकालीन विषयों के साथ भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को मिश्रित करने के सरकार के निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

Source: PIB

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025

संदर्भ

- वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की है।

परिचय

- **प्रकाशित:** ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में।
- **मापदण्ड:** सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा।
- **रैंकिंग:** फिनलैंड एक बार फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा, उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान रहा।
  - अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, उसके बाद सिएरा लियोन और लेबनान का स्थान है।
  - भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है, 2012 में सूची में भारत की सबसे निचली रैंकिंग 144 थी, जबकि 2022 में इसका स्कोर 94 पर पहुँच गया।

क्या आप जानते हैं?

- संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था।
- विश्व प्रसन्नता दिवस की अवधारणा पहली बार 1970 के दशक में भूटान द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है।

Source: TOI

भारत-अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौते (CPA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत-अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता

- इसका उद्देश्य भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकना है।
- यह समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अनुरूप है, जो उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का अधिकार देता है जिनकी सांस्कृतिक विरासत लूटपाट के कारण खतरे में है।
  - यह निवारक प्रकृति का है और इसकी कोई समयसीमा या लक्ष्य संख्या नहीं है।
- अब तक, 588 पुरावशेषों को अमेरिका से वापस लाया गया है, जिनमें से 297 को 2024 में प्राप्त किया जाएगा। इसमें तकनीकी सहायता, अवैध व्यापार एवं सांस्कृतिक संपत्ति की लूट के मामलों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
- भारत आवश्यकतानुसार यूनेस्को और इंटरपोल सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।

क्या आप जानते हैं?

- काशी संस्कृति पथ और नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र (NDLD) 2023 जैसी पहल अवैध तस्करी से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सहमति को रेखांकित करती हैं।

Source :PIB

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित

संदर्भ

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन के लिए नियम जारी किए हैं।

परिचय

- **प्रभावी तिथि:** नए नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
- **नामांकन की अंतिम तिथि:** कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के अन्दर UPS में नामांकन करना होगा। नामांकन के बाद, निर्णय अंतिम होता है और इसे उलटा नहीं किया जा सकता।
- **पात्रता:**
  - 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में कार्यरत मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और NPS के अंतर्गत आने वाले।
  - 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।
  - पूर्व कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत थे, लेकिन 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए।
- **मासिक अंशदान:** मूल वेतन का 10% (यदि लागू हो तो गैर-प्रैक्टिस भत्ता सहित) + महंगाई भत्ता।
- **सरकारी अंशदान:** केंद्र सरकार ग्राहक के 10% अंशदान के बराबर योगदान देगी।
- **अतिरिक्त अंशदान:** सरकार संयुक्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8% अतिरिक्त अंशदान करेगी।
- **गारंटीकृत भुगतान:** 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

Source: PIB

ईरी सिल्क के लिए Oeko- टेक्स प्रमाणन

समाचार में

- पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय रेशम विकास निगम लिमिटेड (NEHHDC) ने जर्मनी से ईरी सिल्क के लिए Oeko- टेक्स प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

Oeko- टेक्स

- यह यार्न, फैब्रिक्स, बटन, लिनेन, टेरी क्लॉथ, धागा और अन्य सहायक सामग्रियों जैसे वस्त्रों के लिए एक विश्वव्यापी प्रमाणन है, जो कच्चे, अर्द्ध-तैयार एवं तैयार वस्त्र सामग्रियों तथा उत्पादों में हानिकारक पदार्थों का परीक्षण करता है।
- ओको-टेक्स प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है।

ईरी सिल्क

- रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो मुख्य रूप से फाइब्रोइन से बना होता है।
  - इसका उत्पादन कीटों के लार्वा द्वारा कोकून बनाने के लिए किया जाता है।
- ईरी सिल्क सामिया सिंथिया रिकिनी कृमि द्वारा उत्पादित रेशम का शुद्ध और वास्तविक रूप है।
  - "ईरी" शब्द "एरंडा" से आया है, जो असमिया भाषा में अरंडी के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्योंकि ये कीड़े अरंडी के पौधे की पत्तियों को खाते हैं।
- इसे रेशम के कीड़ों को मारे बिना संसाधित किया जाता है, इसलिए इसे अहिंसा रेशम या अहिंसक रेशम के रूप में जाना जाता है।
- इसे "सभी सुसंस्कृत और बनावट वाले रेशमों का जनक" कहा जाता है।

- यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत (मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश) और चीन, जापान और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

भारत में रेशम उत्पादन

- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत विश्व का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी चार प्रमुख किस्मों - शहतूत, ईरी, टसर और मूँगा का उत्पादन करता है।
- दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और यह कांचीपुरम, धर्मावरम, अरनी आदि जैसे प्रसिद्ध रेशम बुनाई परिक्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है।

Source :PIB

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)

समाचार में

- सितंबर 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के तहत लॉन्च किए गए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) ने हाल ही में 100 करोड़ से अधिक API लेनदेन की उपलब्धि प्राप्त की है।

ULIP क्या है?

- ULIP 2022 में लॉन्च की जाने वाली राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) का एक प्रमुख घटक है। यह पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भी निकटता से जुड़ा हुआ है।
- **उद्देश्य:** भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एकल खिड़की लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनाना, दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना।
- विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के स्रोतों से डेटा को एकीकृत करना, जिससे लॉजिस्टिक्स परिचालन की वास्तविक समय दृश्यता उपलब्ध हो सके।
  - इसकी संकल्पना नीति आयोग द्वारा की गई है।
- ULIP का संचालन NICDC लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। (NLDSL) भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) करता है, तथा जापानी IT कंपनी NEC कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

Source: DD News

कैराकल(Caracal)

संदर्भ

- राजस्थान के वन मंत्री ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कैराकल के "पहले फोटोग्राफिक रिकॉर्ड" का जश्न मनाने के लिए एक तस्वीर साझा की।

परिचय

- **स्वरूप:** कैराकल मुख्य रूप से रात्रिचर बिल्ली प्रजाति है जो अपने विशिष्ट और नुकीले कानों के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इस जानवर को यह नाम मिला है।

  - कैराकल शब्द तुर्की शब्द 'काराकुलक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'काले कान'।
- **वितरण:** वे अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के दर्जनों देशों के मूल निवासी हैं।
  - **भारत में:** हाल के वर्षों में, एशिया में कैराकल की जनसंख्या में तीव्र गिरावट देखी गई है तथा अनुमान है कि भारत में इनकी संख्या 50 से अधिक नहीं है। अब वे केवल राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं।
  - 2021 में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका नाम गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा।

- **खतरे:** आवास की क्षति और मनुष्यों द्वारा शिकार।
- **IUCN स्थिति:** न्यूनतम चिंता (LC)।
- **CITES:** इसे लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I और II के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व

- **स्थान:** यह रणथंभौर और सरिस्का बाघ अभयारण्य के बाद राजस्थान का तीसरा बाघ अभयारण्य है।
  - विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा, जो चंबल नदी से कालीसिंध तक फैला हुआ है।
  - इसे 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
- **सम्मिलित क्षेत्र :** मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान, दारा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, और चंबल अभयारण्य का हिस्सा (गरड़िया महादेव से जवाहर सागर बांध तक)।

Source: IE